

## आवश्यक सूचना

परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-04 में अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के कुल 102 नग भवनों का पंजीकरण आन-लाईन पद्धति से दिनांक 15.08.2022 से 15.10.2022 के मध्य खोला गया था, किन्तु वर्तमान में शासन अपेक्षा के अनुरूप सेक्टर-04 के उक्त भूमि पर इण्टरनेशनल कंवेशन सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित हो जाने के कारण योजना का संचालन नहीं हो पा रहा है।

योजना की ई-पंजीकरण पुस्तिका-2022 के बिन्दु संख्या-4.9 में वर्णित है कि प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा देय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।

आवास आयुक्त(म0) द्वारा अपरिहार्य कारणों से योजना संचालित न होने की स्थिति में आवेदकों द्वारा जमा की गई पंजीकरण धनराशि, बिना किसी ब्याज के मूलरूप में वापस किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है, क्योंकि पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से कम अवधि तक परिषद खाते में जमा है।

अतः सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त योजना के पंजीकृत आवेदकों की जमा धनराशि बिना किसी ब्याज के आवेदकों को वापस की जायेगी।